

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

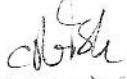
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे- 11/17317-27

दिनांक:- 9 दिसम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ. 3 (ख)()/अलेसे- 11/17317-27 दिनांक 18.10.2013 में संशोधन करते हुए श्री लोकेश सेठी, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 3215) कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, हनुमानगढ़ को कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), हनुमानगढ़ में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।

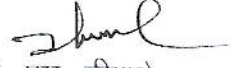

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे- 11/17317-27

दिनांक:- 9 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
2. सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, हनुमानगढ़।
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हनुमानगढ़।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. सहायक निदेशक, कार्मिक द्वितीय, कार्यालय हाजा।
6. श्री लोकेश सेठी, कनिष्ठ लेखाकार, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, हनुमानगढ़।
7. श्री अवनिश झाड़ाडिया, लेखाकार (लिंक नं. 3215, मेरिट नं. 109/2011), क्षेत्रीय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हनुमानगढ़।
8. निर्जी सहायक, निदेशक महोदया।
9. व्यक्तिगत पंजिका।
10. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग